संख्या-25/2022/I/220131/2022/001-46-1002-001-4-2021

प्रेषक,

डॉ. रूपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(समस्त सम्बन्धित जनपद)

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर, 2022

विषयः-गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में **अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति)** के अन्तर्गत 0.5 प्रतिशत की धनराशि वानिकी कार्यों हेतु मात्राकरण करते हुए बजट प्राविधान के सापेक्ष जनपदवार/कार्यक्रमवार वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र संख्या-558-60/विकास/जि.यो22-23, दिनांक 04-08-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति) के अर्न्तगत लेखा शीर्ष **"2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-गन्ना विकास योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी"** में प्राविधानित धनराशि **रू. 275.06 लाख (रूपया दो करोड़ पचहत्तर लाख छः हजार मात्र)** की उल्लिखित जनपदवार/कार्यक्रमवार व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

गन्ना विकास की योजना (जिलायोजना) वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति) के लिए एवं वानिकी कार्य हेतु 0.50 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि की कार्यक्रमवार/जनपदवार

(धनराशि रु. में.)

क्र.सं.	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	प्राथमिक पौधशालाबीज वितरण कार्यक्रम	अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम	आधार बीज यातायात कार्यक्रम	मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम	पेडी प्रबन्धन कार्यक्रम	बायोफर्टिलाईजर/ वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम	वानिकी कार्यक्रम हेतु	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहारनपुर	166500	470000	5115	20350	186000	135000	120000	5587	1108552

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	मुजफ्फरनगर	341250	769625	3300	22072	528000	168000	159400		1991647
3	शामली	65000	306050	2385	9100	45000	15000	33000	0	475535
योग मण्डल		**572750**	**1545675**	**10800**	**51522**	**759000**	**318000**	**312400**	**5587**	**3575734**
4	मेरठ	179800	509050	4410	24819	43000	13950	31800	0	806829
5	बागपत	43500	63375	375	3686	32000	15000	28800		186736
6	गाजियाबाद	27900	71450	915	3906	21000	15000	12000	0	152171
7	हापुड़	55250	146375	1770	7735	24000	15000	21000		271130
8	अलीगढ	7000	10000	200	300	17500	2000	8000	0	45000
9	बुलन्दशहर	80000	250000	2400	11200	42000	13500	31800	0	430900
10	मथुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग मण्डल		**393450**	**1050250**	**10070**	**51646**	**179500**	**74450**	**133400**	**0**	**1892766**
11	मुरादाबाद	140000	300000	3600	14000	117500	75000	84000	0	734100
12	रामपुर	63000	147000	1815	8820	60000	30000	39000	0	349635
13	अमरोहा	121300	307750	3975	16695	144500	90000	102000	0	786220
14	बिजनौर	318100	1232550	8415	44534	411000	195000	240000	0	2449599
15	सम्भल	92500	164750	2175	12950	78000	46350	49800		446525
योग मण्डल		**734900**	**2152050**	**19980**	**96999**	**811000**	**436350**	**514800**	**0**	**4766079**
16	बरेली	169800	425000	4200	21525	155000	82500	79200	0	937225
17	बदायूं	30000	150000	525	2800	55000	12500	40000	0	290825
18	पीलीभीत	144350	368850	4695	20195	166500	135100	120800	0	960490
19	शाहजहांपुर	134800	344500	4380	18865	155500	105000	90000	0	853045
20	कासगंज	44000	62500	375	2520	30500	10500	18000	0	168395
योग मण्डल		**522950**	**1350850**	**14175**	**65905**	**562500**	**345600**	**348000**	**0**	**3209980**
21	लखीमपुरखीरी	720800	1944725	19005	88844	1360500	600000	900000		5633874
22	सीतापुर	275000	725000	7500	38500	326000	180000	90000	8305	1650305
23	रायबरेली	10000	15000	150	294	11000	750	3600	174	40968
24	फरूर्खाबाद	16500	42000	550	2300	18500	12000	8000		99850
25	हरदोई	75700	207850	1245	10598	55000	37500	39600		427493
26	कानपुर	2000	7875	0	280	6000	1950	3600	0	21705
योग मण्डल		**1100000**	**2942450**	**28450**	**140816**	**1777000**	**832200**	**1044800**	**8479**	**7874195**
27	फैजाबाद	66000	165000	1800	665	66000	45000	39000	1912	385377
28	सुल्तानपुर	19200	48300	600	2688	25000	12000	6000	597	114385
29	बाराबंकी	17500	47250	675	2450	21000	15000	12000	574	116449
30	जौनपुर	4800	12250	150	672	5500	5400	4200	165	33137
31	गाजीपुर	4800	12250	150	672	5500	5400	4200	165	33137
32	वाराणसी	5000	12875	210	700	4500	1500	3000	139	27924
33	अम्बेडकरनगर	25000	62500	750	3500	31000	3600	18000	0	144350
योग मण्डल		**142300**	**360425**	**4335**	**11347**	**158500**	**87900**	**86400**	**3552**	**854759**
34	गोण्डा	128400	327700	4095	17976	145000	75000	96000	3980	798151
35	बलरामपुर	148600	465000	4650	20755	170000	70350	108000	5500	992855
36	बहराईच	118000	303975	1590	7560	110000	45000	66000	3211	655336
योग मण्डल		**395000**	**1096675**	**10335**	**46291**	**425000**	**190350**	**270000**	**12691**	**2446342**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

37	गोरखपुर	7500	19000	270	1064	17000	6000	6000	0	56834
38	बस्ती	110000	250000	2010	15400	56000	37500	36000	2530	509440
39	महराजगंज	23200	55200	855	3248	45000	22500	30000	0	180003
40	सिद्धार्थनगर	6050	6600	105	847	3500	1200	1800	100	20202
योग मण्डल		**146750**	**330800**	**3240**	**20559**	**121500**	**67200**	**73800**	**2630**	**766479**
41	कुशीनगर	138400	425325	2200	21500	560000	112500	360000	8061	1627986
42	देवरिया	13000	45000	390	1995	50000	21050	42000	0	173435
43	मऊ	10000	18000	150	210	6000	4500	3000	0	41860
44	बलिया	3000	7000	75	210	3000	900	2400	0	16585
45	आजमगढ	47500	143500	800	3000	42000	8000	15000		259800
योग मण्डल		**211900**	**638825**	**3615**	**26915**	**661000**	**146950**	**422400**	**8061**	**2119666**
सम्पूर्ण योग		**4220000**	**11468000**	**105000**	**512000**	**5455000**	**2499000**	**3206000**	**41000**	**27506000**

(रूपया दो करोड़ पचहत्तर लाख छः हजार मात्र)

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों:-</u>

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये नहीं किया जायेगा।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाय। इससे इतर व्यय अनियमितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी का होगा।

(3) प्रस्तर.1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाईड-लाईन्स) तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तदहेतु इस शासनादेश के संलग्नक के कालम-10 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपदों से उभर कर आये परिव्यय की सीमा तक व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित लाभार्थियों को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2023) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

(7) गन्ना आयुक्त, उ.प्र. एवं सम्बन्धित अधिकारी, गन्ना विकास विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी. हेतु नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाय।

(8) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, प्रयागराज तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, प्रयागराज से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित व्यय की जायगी आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,75,06,000 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख छह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2401007890400 गन्ना विकास योजना (जिला योजना) **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 /2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

डॉ. रूपेश कुमार

विशेष सचिव।

संख्या:25/2022/I/220131/2022/001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., लखनऊ।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
7. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
8. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9. समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।
11. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.,।
12. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।